

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती उषा देवी

मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
बनाम गोविन्द सिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 204/2022

2022/300

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16⁵/₂₀₂₂

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती ~~उषा देवी~~ w/o अनिल बिशोरिचा~~श्रीमती~~ श्रीमती हेमा देवी w/o अतुल बिशोरिचा


निवासी- चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम -

मंगोदडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 99

कुल कीता 8 कुल रकबा 4.0700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम मंगोदडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 99

कुल कीता 8 रकबा 4.0700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500 रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(श्याम सुन्दर बिशनाई)
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)